भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 3855

उत्तर देने की तारीख: 11.08.2026

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण

3855. डॉ. दग्गुबाती पुरंदेश्वरी:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शैक्षणिक सत्र 2025-2026 के दौरान राजमुंदरी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) विगत एक वर्ष के दौरान पूर्वी गोदावरी जिले में छात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से वितरित किया गया कुल वित्तीय परिव्यय कितना है;

(ग) राजमुंदरी के शैक्षणिक संस्थानों में छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ताओं की नियमित उपस्थिति और संस्थागत प्रदर्शन को सत्यापित करने के लिए कौन-से केंद्रीय लेखापरीक्षा संबंधी कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या मंत्रालय को राजमुंदरी क्षेत्र में स्थित कॉलेज प्रशासनों द्वारा छात्रवृत्ति नवीनीकरण की धीमी प्रक्रिया के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ड.) राजमुंदरी में आवेदकों के लिए प्रशासनिक औपचारिकताओं को समाप्त करने के लिए सत्यापन डेटाबेस (वेरिफिकेशन डेटाबेस) को सुव्यवस्थित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क) और (ख): 2025-2026 के दौरान प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले राजमुंदरी लोकसभा क्षेत्र के अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों की कुल संख्या **संलग्नक-I** में दी गई है।

वर्ष 2025-26 के दौरान पूर्वी गोदावरी जिले में उपर्युक्त योजनाओं के तहत अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को जारी की गई निधियों का विवरण **संलग्नक-II** में दिया गया है।

(ग) से (ङ): अनुसूचित जातियों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति तथा अनुसूचित जातियों एवं अन्य के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्तियों के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निर्दिष्ट ऑनलाइन छात्रवृत्ति पोर्टलों के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। छात्रवृत्ति राशि के केंद्रीय हिस्से का संवितरण पूरी तरह से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपने हिस्से का संवितरण करने और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के हिस्से के भुगतान संबंधी अंतिम रूप से सत्यापित आंकडों को केंद्रीय हिस्से के संवितरण के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपलोड करने पर निर्भर करता है।

अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए छात्रवृत्ति के तहत, कार्यान्वयन एजेंसी होने के नाते राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने स्तर पर उपयुक्त तंत्र के साथ आवेदन आमंत्रित करने, आगे की प्रक्रिया, सत्यापन, उपलब्ध डेटाबेस के साथ एकीकरण और अन्य कार्यान्वयन पहलुओं के लिए प्रमुख तौर-तरीकों का निर्धारण करते हैं। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) की शुरुआत के बाद से, छात्रवृत्ति राशि सीधे लाभार्थी के आधार से जुड़े खाते में संवितरित की जाती है, जिससे निधियों का प्रवाह सरल और तेज हो गया है और इससे लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचना सुनिश्चित हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप दक्षता और प्रभावशीलता बढ़ी है। इसके अलावा, छात्रवृत्ति नवीकरण की प्रक्रिया में देरी सहित योजना के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न मुद्दों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों सहित संबंधित हितधारकों के साथ नियमित रूप से उठाया जाता है और समय पर समाधान किया जाता है।

देश भर में योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, संबंधित हितधारकों और सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय स्तर के चिंतन शिविरों, क्षेत्रीय बैठकों और राष्ट्रीय सम्मेलनों के माध्यम से विभाग द्वारा योजनाओं की नियमित रूप से निगरानी की जाती है।

संलग्नक-I

'प्रत्यक्ष लाभ अंतरण' के संबंध में डॉ. डी. पुरंदेश्वरी द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3855, जिसका उत्तर दिनांक 11.08.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक

वर्ष 2025-26 के दौरान राजमुंदरी लोकसभा क्षेत्र से अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों की कुल संख्या:

क्र.सं.	योजना का नाम	लाभार्थियों की संख्या
1	अनुसूचित जाति के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	44746*
2	अनुसूचित जाति और अन्य के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	32813*
3	ओबीसी के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	13658
4	ओबीसी के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	1997

*अनुसूचित जाति के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं तथा अनुसूचित जाति और अन्य के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के संबंध में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र-वार आंकडे एनएसपी-एनआईसी द्वारा नहीं रखे जाते हैं। तथापि, एनएसपी-एनआईसी द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुसार पूर्वी गोदावरी, एलुरु और काकीनाडा जिलों के संयुक्त आंकड़े ऊपर दिए गए हैं।

संलग्नक-II

'प्रत्यक्ष लाभ अंतरण' के संबंध में डॉ. डी. पुरंदेश्वरी द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3855, जिसका उत्तर दिनांक 11.08.2026 को दिया जाना है, के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक

वर्ष 2025-26 के दौरान पूर्वी गोदावरी जिले में अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को जारी की गई निधियों का विवरण:

क्र.सं.	योजना का नाम	जारी की गई निधियां (रु. करोड़ में)
1	अनुसूचित जाति के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	20.8
2	अनुसूचित जाति और अन्य के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	2.38
3	ओबीसी के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	6.83
4	ओबीसी के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	0.80
